XXXIX(a)-BR (H)-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

शासन द्वारा आयुक्त विरूद्ध
संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – विविध 951–दो/14 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–8–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आयुक्त ने इस न्यायालय को भेजे अपन प्रतिवेदन में यह मानकर कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है अपितु पुनरीक्षण होगा, इस न्यायालय से प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिए जाने का अनुरोध किया गया है । यह प्रकरण सीमांकन के संबंध में है और सीमांकन आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः उनका प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का अनुरोध अमान्य किया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यथित पक्षकार अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	